

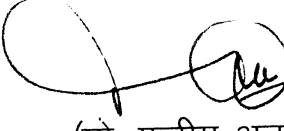
7

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक. ८/२४०९ / जबलपुर, दिनांक १२/०५/२०१८.
चार-१२-१४/८० भाग-दो-ई

श्री अमन तिवारी एवं श्री शुभांकर मिश्रा, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक ३(सी) १३/९४/२१-ब (एक) दिनांक ०६.१०.१९९५, दिनांक १७.०५.२००५, २२-०६-२०११, आदेश क्रमांक ३६३२/२१-ब (एक) भोपाल, दिनांक २९-१२-२०१४ एवं क्रमांक १७ (ई) ३८/२०१४/२१-ब (एक) ९७६ भोपाल, दिनांक ०८-०४-२०१५ में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक ११.०५.२०१८ से वाहन भत्ता रुपये १०००/- (रुपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जाता है।

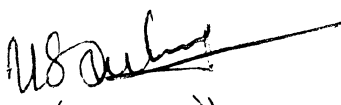

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ८/२४१० / जबलपुर, दिनांक १२/०५/२०१८
चार-१२-१४/८० भाग-दो-ई

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री अमन तिवारी एवं श्री शुभांकर मिश्रा, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे)
रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.